Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Amendment of Article 51A).

16.07 1/2 hrs.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के सिंवधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

----- <